



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 36/2026

विवेक सिंह और 4 अन्य

..... अपीलकर्ता
(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग, लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: आलोक मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., उत्सव मिश्रा

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी सं. 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्सव मिश्रा को सुना।
2. रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.01.2026 को पारित किए गए बाद के आदेश और प्रतिवादी सं. 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्सव मिश्रा इस विशेष अपील की वैधता के संबंध में उठाई गई आपत्तियों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करने के बाद, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा ने निवेदन किया कि उन्हें यह विशेष अपील वापस लेने की अनुमति दी जाए और इसे वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया जाए, साथ ही यदि विधि में अन्यथा अनुमत हो, तो दिनांक 21.01.2026 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता भी दी जाए।
3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ विशेष अपील को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है, हालांकि, केवल उसी हद तक कि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुनवाई योग्य होगी और प्रतिवादियों द्वारा इस संबंध में किसी भी आपत्ति के अधीन होगी।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

27 जनवरी, 2026

R.K.P.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।